UPSI010019782024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (ओ0ए0डब्लू0), सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0—513/2024

राज्य बनाम परशुराम उर्फ पारसनाथ आदि

अपराध संख्या—468/2023

धारा—376डी,452,506 भा0दं0सं0

थाना—रेउसा, जिला—सीतापुर।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार नागर, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0) सीतापुर एतद् द्वारा आप अभियुक्त **रामादल** को निम्न प्रकार आरोपित करता हूँ:—

यह कि दिनांक 13—08—2023 को समय लगभग 19.30 बजे शाम स्थान वादिनी का घर बहद ग्राम पुरानी बस्ती कस्बा रेउसा अन्तर्गत थाना रेउसा जिला सीतापुर में आपने व सह—अभियुक्त परशुराम उर्फ पारसनाथ ने वादिनी मुकदमा के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बारी—बारी से सामुहिक बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 376डी में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने व सह—अभियुक्त परशुराम उर्फ पारसनाथ ने वादिनी के साथ सामुहिक बलात्कार करने के आशय से वादिनी के घर में घुस कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया, जो भा0दं0सं0 की धारा 452 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद् द्वारा निदेर्शित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आपका इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाय।

(दिनेश कुमार नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0)
सीतापुर।

दिनांकः21—05—2026

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया तथा समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

(दिनेश कुमार नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0)
सीतापुर।

दिनांकः21—05—2026

Digitally signed by Dinesh Kumar Nagar
Date: 2026.05.21 15:11:57 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and
Sessions Court Sitapur

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (ओ0ए0डब्लू0), सीतापुर।</u>

<u>सत्र परीक्षण सं0–513/2024</u>

राज्य बनाम परशुराम उर्फ पारसनाथ आदि

अपराध संख्या–468/2023

धारा–376डी,452,506 भा0दं0सं0

थाना–रेउसा, जिला–सीतापुर।

<u>21–05–2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **रामादल** अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376डी,452,506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 ने केस को प्रारम्भ करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन प्रस्तावित साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया, जिससे वह अभियुक्त के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपों को साबित करेगे।

आरोप विरचित करने के बिन्दु पर अभियुक्त व अभियोजन पक्ष को सुना गया।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को को सुनने एवं पत्रावली व केसडायरी के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376डी, 452, 506 भा0दं0सं0 के आरोप हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्त को आरोपित किया जाय।

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप बनाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 23–06–2026 को पेश हो। गवाहों को अभियोजन पक्ष जरिए सम्मन तलब करें।

(दिनेश कुमार नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0)
सीतापुर।

दिनांक:21–05–2026